

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - निशांत सिंह .....बगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष - कारु सिंह ..... बगैरह ।

वाद सं0 51/2022

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
9/11/23	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 22/2022 दिनांक 24/05/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) निशांत सिंह उम्र 27 वर्ष पिता चंद्रशेखर सिंह ग्राम पोकटा थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) कारु सिंह उम्र 35 वर्ष पिता स्व0 मणिपाल सिंह ग्राम केदली (2) पप्पु सोनी उँर्फ ओमप्रकाश सोनी उम्र 43 वर्ष पिता स्व0 गोपाल सोनी ग्राम कुम्हारी (3) अर्जून सिंह उम्र 27 वर्ष पिता बिदेश्वर सिंह ग्राम केदील (4) पाल सिंह उम्र 32 वर्ष पिता मनबहाल सिंह ग्राम केदली थाना बसिया जिला गुमला के बीच केस में गवाहों को लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद है फलस्वरूप शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p>	



*[Signature]*  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बसिया (गुमला)।